संख्या- 13 /2022/411जेएल/22-3-2022-100(41)/2014

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2022*

विषय- जिला कारागार, उरई (जालौन) में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी मुन्ना उर्फ खालिद पुत्र श्री अब्दुल रहीम को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11363/सामा-1(8)/93/उरई/2022, दिनांक 05-04-2022 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अंतर्गत जिला कारागार, उरई (जालौन) में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी मुन्ना उर्फ खालिद पुत्र श्री अब्दुल रहीम को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-13 /2022/411जेएल(1)/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन/फरूर्खाबाद।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फरूर्खाबाद/ जालौन।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, उरई (जालौन) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, उरई (जालौन) से केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in